न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

GCMS NO 2023/153

अपील संख्या – 72/23

उदा पुत्र रोडू जाति जाट निवासी खिजूरी तहसील व जिला सवाई माधोपुर अपीलांट

बनाम

1. जगदीश पुत्र स्व0प्रहलाद
2. रघुवीर पुत्र स्व0प्रहलाद
3. उर्मिला पुत्री स्व0प्रहलाद
4. साथी पत्नि स्व0प्रहलाद
5. बद्री पुत्र कल्याण
6. शंकर पुत्र कल्याण
7. राजाराम पुत्र माधो
8. रामोतार पुत्र माधो
9. प्रकाश पुत्र माधो
10. मूलचंद पुत्र माधो
11. केसर बेवा माधो निवासीयान ग्राम खिजूरी तहसील व जिला सवाई माधोपुर
12. अनोखी देवी पत्नि दिनेश लोधा निवासी जटवाडा खुर्द
13. भंवर लाल पुत्र किशना जाति जाट
14. गुलाब पत्नि किशना जाति जाट
15. अंकिता पुत्री किशना जाति जाट
16. रामलाल पुत्र केसरा जाति जाट
17. रंगलाल पुत्र केसरा जाति जाट
18. नेहनालाल पुत्र केसरा जाति जाट
19. श्योजी पुत्र केसरा जाति जाट
20. प्रकाश पुत्र केसरा जाति जाट
21. कैलाश पुत्र केसरा जाति जाट
22. छोटू पुत्र केसरा जाति जाट
23. रसाल पुत्री केसरा जाति जाट
24. अनोक पुत्री माधोलाल जाति जाट
25. संतोष पुत्री माधो जाति जाट
26. मुकेश पुत्र माधो जाति जाट निवासीयान ग्राम खिजूरी तहसील व जिला सवाई माधोपुर
27. लैण्ड होल्डर तहसीलदार सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 20/20 निर्णय दिनांक 26.6.23 न्यायालय उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर)

अभिभाषक अपीला0 श्री उभय कुमार शर्मा

अभिभाषक रैस्पो0 श्री राधेश्याम वैष्णव

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:57:16 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 19.6.2025

निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 26.6.23 न्यायालय उपजिला कलक्टर, सवाई माधोपुर पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 के पिता/पति प्रहलाद व 2 ता 11 द्वारा प्रार्थना पत्र 251 (ए) के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण ग्राम खिजूरी मे भूमि का खातेदार अधिधारी है। प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी हाल खाता संख्या 180 हाल खसरा न0 406 रकबा 1.79 है0, 407 रकबा 1.79 है0 ग्राम खिजूरी मे मौजूद है तथा आम रास्ता सवाई माधोपुर से कोटा से जाने वालो को वादीगण की आराजी मे आने जाने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात हाल ख0न0 419 रकबा 0.87 है0 की दक्षिण दिशा की मेड से कुऐ के पास मे होकर है। जिसमे होकर वर्षो से प्रार्थीगण आते जाते रहे है तथा वर्तमान मे भी आ जा रहे है। परन्तु रेवेन्यू रिकार्ड मे नक्शा ट्रेस मे रास्ता दर्ज नही है। प्रार्थीगण को उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। उक्त रास्ते को अप्रार्थी उदा द्वारा बन्द करते हुए तारबंदी कर दी गई। प्रार्थीगण द्वारा मना करने पर उनके द्वारा उक्त रास्ते को खुलासा करने से इंकार कर दिया। इस प्रकार प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे अपने खेत खसरा न0 406 व 407 मे से आम रास्ते पर आने जाने के लिए प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात ख0न0 419 रकबा 0.87 है0 की दक्षिण दिशा की मेड पर होकर निकले चूकि वादीगण को उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। इसलिए प्रतिवादीगण के उक्त खेत ख0न0 419 मे से 10 फीट चौडा व लगभग 150 मीटर लम्बाई पूर्व से पश्चिम रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थी डी एल सी रेट की दुगनी राशि प्रतिवादीगण को देने को तैयार है। अतः प्रतिवादीगण के खेत ख0न0 419 मे दक्षिण दिशा की मेड मे होकर कुए के पास होकर रास्ता दिलाया जाकर रेवेन्यू रिकार्ड मे तरमीम कराई जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थीगण द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 1 उदा द्वारा यह अपील इस न्यायालयं मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय रूयेदाद मिसल व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो एवं तथ्यो से परे होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नही किया कि जहॉ से प्रार्थीगण ने रास्ते लेने की बात खसरा न0 419 मे मांगी है खसरा न0 419 सहखातेदारी की भूमि है तथा मौके पर समस्त सह[illegible] ने बाहमी बंटवारा कर रखा है और विधिवत विभाजन नही हुआ है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ता विधि विरुद्ध दिया गया है। इससे पक्षकारो मे आपसी [illegible] के तहत न्यायालय ने समस्त अप्रार्थीगण के खाते मे डी एल सी जमा कराने के आदेश पारित किये है। उक्त प्रकरण मे जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:57:16 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

जबाब आया है उससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थीगण कभी भी ख0न0 419 से होकर नही आये गये है ना ही कभी रास्ता रहा है। प्रार्थीगण का सदैव से रास्ता उनके कुटुम्बियो के खेत ख0न0 419 के दक्षिण मे स्थित खसरा न0 मे होकर रहा है। इस बात पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो निरस्त योग्य है। माननीय राजस्व मंडल ने अपनी कई नजीरो मे स्पष्ट किया है कि संबंधित तहसीलदार को स्वयं की मौजूदगी मे मौका रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। तथा उक्त प्रकरण मे तहसीलदार मौके पर पहुँचे ही नही ना ही अपीलांट को कोई नोटिस वगै0जारी किया गया। इस प्रकार मौका रिपोर्ट संदेहास्पद एवं साज कर तैयार की गई है। इसका सबसे बडा प्रमाण यह है कि मौका रिपोर्ट पर कटिंग दिनांक पर स्पष्ट प्रतीत होती है। तहसीलदार के आदेश दिनांक 16.1.23 को कांट छाट कर आई एल आर ने व फर्द पर 16 को 18 बनाया गया लेकिन मौका रिपोर्ट पर एक स्थान पर 16.1.23 दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि प्रकरण मे जो मौका रिपोर्ट तैयार की गई है वह प्रार्थीगण ने हल्का पटवारी से साज कर तैयार कराई है। इन बातो पर गौर किये बिना ही जल्दबाजी मे टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानो के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो निरस्त योग्य है। अदालत मातहत ने जल्दबाजी मे निर्णय पारित किया है जिसका सबसे बडा प्रमाण यह है कि प्रकरण मे दिनांक 29.3.23 की आदेशिका मे उभयपक्षो की बहस सुनी जाना दर्शाया है तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 26.6.23 निर्धारित की है और दिनांक 26.6.23 को बहस सुनने के 3 माह बाद उपरोक्त अपीलाधीन आदेश सीधा ही सुना दिया गया है तथा इसी के साथ आदेशिका दिनांक 30.1.23 मे पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त लिखकर यह सम्पूर्ण कार्यवाही जल्दबाजी मे सम्पादित की गई है। जो विधि के विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। तहत न्यायालय ने जल्दबाजी मे न्यायिक विवेक का उपयोग किये बिना दस्तावेजो का अवलोकन किये बिना 251 ए आर टी एक्ट के इन्ग्रीडेन्टस के विपरीत जाकर उपरोक्त निर्णय विधि विरूद्व तरीके से पारित किया है तथा अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नही किया गया है। अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांट को दिनांक 27.7.23 को प्रार्थीगण के यह कहने पर हुई। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त की जाकर अपील जानकारी के अनुसार अन्दर मियाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि रेस्पो0/प्रार्थीगण ग्राम खिजूरी मे भूमि के खातेदार अधिधारी है। प्रार्थीगण/रेस्पो0 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी हाल खाता संख्या 180 हाल खसरा न0 406 रकबा 1.79 है0, 407 रकबा 1.79 है0 ग्राम खिजूरी मे मौजूद है तथा आम रास्ता सवाई माधोपुर से कोटा से जाने वाले को रेस्पो/प्रार्थीगण की आराजी मे आने जाने के लिए [illegible] कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात हाल ख0न0 419 रकबा 0.87 है0 की दक्षिण [illegible]शा की मेड से कुऐ के पास मे होकर है। जिसमे होकर वर्षो से प्रार्थीगण/[illegible] है तथा वर्तमान मे भी आ जा रहे है। परन्तु रेवेन्यू रिकार्ड मे नक्शा ट्रेस मे रास्ता दर्ज नही है। रेस्पो0/प्रार्थीगण को उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:57:16 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही होने तथा उक्त रास्ते को अप्रार्थी/अपीलांट उदा द्वारा बन्द करते हुए तारबंदी करने एवं उक्त रास्ते मे से आने जाने हेतु मना किये जाने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे टीनेन्सी एक्ट के तहत धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र दायर किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से रेस्पो0/प्रार्थीगण की भूमि के रास्ते के बाबत तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मे प्रार्थीगण/रेस्पो0 की आराजीयात पर आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही होने एवं अपीलांट की उक्त आराजीयात मे से ही लघुतम रास्ता होने एवं डी एल सी दर की दो गुना राशि जमा कराने की शर्त पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानो के तहत डी एल सी दर की दो गुना राशि अपीलांट/अप्रार्थीगण को अदा करने की शर्त पर विधि अनुसार रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने के आदेश दिये गये है। अपीलांट का कथन रहा है कि उनको अधिनस्थ न्यायालय मे साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया है। जबकि वास्तविकता यह है कि अपीलांट की और से एक ही नही दो अधिवक्तागणो द्वारा वकालतनामा पेश किया गया था। अपीलांट के अधिवक्तागणो द्वारा जबाब प्रस्तुत नही किये जाने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से अपीलांट का जबाब बंद किया गया है। किसी खातेदार की भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता दिया जाना आवश्यक है क्योकि बिना रास्ते के खातेदार अपने कृषि कार्य से वंचित होता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से कानूनी प्रक्रिया अनुसार ही तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर रास्ता कायम करने के आदेश दिये गये है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिक निर्णय है जो जल्दबाजी मे नही किया जाकर विधिवत रूप से कानूनी प्रक्रिया के तहत ही पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि रेस्पो/प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी हाल खाता संख्या 180 हाल खसरा न0 406 रकबा 1.79 है0, 407 रकबा 1.79 है0 ग्राम खिजूरी मे स्थित है। उक्त आराजीयात पर पूर्व से रेस्पो0 द्वारा अपीलांट की खातेदारी भूमि ख0न0 ख0न0 419 से आना जाना रहने के कारण रेस्पो/प्रार्थीगण द्वारा अपीलांट की भूमि ख0न0 419 से रास्ता चाहा गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात के रास्ते के संबंध मे तहसीलदार सवाई माधोपुर से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा भूमि ख0न0 406 व 407 पर आने जाने हेतु लघुतम दूरी का रास्ता भूमि ख0न0 419 से ही माना है। अपीलांट का कथन रहा कि भूमि खसरा न0 419 मे से जो रास्ता दिया गया है वह भूमि खातेदारी की भूमि है जिसमे से रास्ता प्रदान किये जाने पर अपीलांट को अनावश्यक परेशानी होने [illegible] बाहुलता बढेगी। तहसीलदार द्वारा रास्ते के संबंध मे तैयार की गई मौका रिपोर्ट अपीलांट की उपस्थिति मे तैयार नही की गई है। जबकि भूमि खसरा न0 406 व 407 पर आने जाने हेतु ख0न0 419 के अलावा अन्य खसरे भी मौजूद स्थित है जिनमे से भी रास्ता लघुतम होने से उनमे से रास्ता प्रदान किया जा सकता

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:57:16 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राज.) सत्यमेव जयते

है। दौराने बहस प्रस्तुत नजरी नक्शे के अवलोकन से जाहिर है कि भूमि खसरा न0 406 व 407 पर आने जाने हेतु भूमि खसरा न0 419 व 420 की मेड पर से भी रास्ता दिया जा सकता है। रास्ता एक अत्यधिक आवश्यकता है क्योकि किसी खातेदार को उसकी खातेदारी भूमि पर आने जाने हेतु यदि रास्ता उपलब्ध नही है तो उस खातेदार के भूमि से अधिकार वंचित होना स्वाभाविक है। उभयपक्ष द्वारा भूमि खसरा न0 406 व 407 मे आने जाने हेतु अन्य खसरा न0 419 व 420 की उत्तरी मेड से रास्ता दिये जाने पर अपनी मौखिक सहमति प्रकट की है तथा तहसीलदार द्वारा भिजवाई गई मौका रिपोर्ट दिनांक 26.3.21 पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नही है इससे स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा बनाई गई रिपोर्ट उभयपक्ष की मौजूदगी मे नही बनाई गई है। जबकि रास्ते के प्रकरणो मे उभयपक्ष की मौजूदगी मे रिपोर्ट तैयार करने का मत माननीय मण्डल द्वारा अपने निर्णयो मे पारित किया गया है। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अपूर्ण रिपोर्ट है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को उभयपक्ष की मौजूदगी मे तथा आपसी सहमति के आधार पर ख0न0 419 व 420 की उत्तरी मेड से रास्ता दिये जाने के संबंध मे उभयपक्ष की मौजूदगी मे रिपोर्ट तैयार कर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर विधि अनुसार रास्ता प्रदान किये जाने हेतु रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित है।

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के प्रकरण संख्या 20/20 निर्णय दिनांक 26.6.23 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे खसरा न0 406 व 407 वाके ग्राम खिजूरी तहसील सवाई माधोपुर मे आने जाने हेतु भूमि खसरा न0 419 व 420 की उत्तरी मेड से रास्ते के सबंध मे मौके की रिपोर्ट उभयपक्ष की मौजूदगी मे तैयार कराई जाकर, प्राप्त रिपोर्ट मे लघुतम दूरी का आकलन करते हुए तथा उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि अनुसार रास्ता प्रदान किये जाने के आदेश पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के यहॉ दिनांक 14.7.25 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 19.6.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:57:16 IST
Reason: SelfAttested